No.I-17018/Estt-I/652/NDRF/2025/ 286

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

Govt. of India, Ministry of Home Affairs

महानिदेशलय

Directorate General

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

National Disaster Response Force

6th Floor, NDCC Building-II
Jai Singh Road
New Delhi - 110001

Dated, 28 Jan '2026

To

All Ministries of the Government of India.
The Chief Secretaries to the Governments of all States/UTs.
The DGs/Directors : IB, NCB, NSG, RPF, CBI, DCPW, NCRB.
The Cabinet Secretariat, New Delhi
The DGs of CAPFs
The DGs/IGs of the States/UTs.

Subject: **Deputation – Inviting nominations for various posts at NDRF Academy, Nagpur**

Sir/Madam,

The nominations are invited for the following posts on deputation basis at NDRF Academy, Nagpur (Maharashtra) – 440001 :-

S/N	Name of Post	Pay level	Group	Method of Rectt.	Number of vacancy
1.	Administrative Officer	7	B (Gazetted)	Deputation	01
2.	Hostel Warden Cum-Physical Training / Sports Instructor	6	B	Deputation	01

2. The eligibility criteria / relevant recruitment rules are available on the NDRF website : http://www.ndrf.gov.in under the tab 'Job Opportunity'. Head of Department (HOD) may forward nominations of eligible and willing officers/officials along with their bio-data and attested copy of supporting documents towards eligibility for above posts to DIG(Estt), HQ NDRF, 6th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi – 110001 within 60 days from the date of this circular. Direct applications/ willingness for deputation will not be entertained.

Contd P/2...

3. It is further requested to circulate above information among all the Departments /Institutions /Offices under your charge and also place the same on respective websites for wider publicity please.

Yours faithfully,

(G. S. Chauhan)
Dy. Inspetor General (Estt)

Copy for information to :-

1. The JS(DM), MHA (DM Division), 3rd floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Internal

1. IT Dte. HQ NDRF : For information along with copies of eligibility criteria/relevant recruitment rules of above posts of NDRF Academy for uploading the same on NDRF website – http://www.ndrf.gov.in under the tab "Job Opportunity" at the earliest please.
2. Director, NDRF Academy, Nagpur : for information please.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23122024-259594
CG-DL-W-23122024-259594

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2024, शनिवार/अग्रहायण 24—अग्रहायण 30, 1946
No. 44] NEW DELHI, DECEMBER 15— DECEMBER 21, 2024, SATURDAY/AGRAHAYANA 24–AGRAHAYANA 30, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय आपातकालीन राहत प्रशिक्षण संस्थान में (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1963 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (समूह - 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :-**उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उक्त पद का स्तर वह होगा जो, इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्वति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्वक सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रशासनिक अधिकारी।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900 – 142400)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; और (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है, जैसे कि:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण1:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में कार्यरत विभागीय सहायक, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिन्होंने प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में दो-चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तथा जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, को भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाना है। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य *काडर-बाह्य* पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1-12/2023/डीएम-I(एन)- पार्ट]

आशीष शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the13th December, 2024

G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Emergency Relief Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1963, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer, in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Administrative Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and

other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6**. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Administrative Officer.	1*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900 – 142400) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation/promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation/promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with at least five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor Degree from a recognised University or institute; (ii) two years experience in accounts /administration or establishment work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. **Note 1:** The departmental Assistant in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade, who has successfully completed training of two-four weeks in the field of administration, establishment and accounts, and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is also to be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for

appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation spent in any other *ex cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 1-12/2023-DM-I(N)-part]

ASHISH SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय छात्रावास वार्डन सह-शारीरिक प्रशिक्षण/खेल प्रशिक्षक पद (भर्ती) नियम, 1979 से है को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी में छात्रावास वार्डन सह-शारीरिक प्रशिक्षण/ खेल प्रशिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, छात्रावास वार्डन सह-शारीरिक प्रशिक्षण /खेल प्रशिक्षक (समूह –"ख") भर्ती नियम, 2024 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** भर्ती की आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अनर्हताएं:-** वह व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघलोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
छात्रावास वार्डन सह-शारीरिक प्रशिक्षण/ खेल प्रशिक्षक।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख'अराजपत्रित,गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 – 112400)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; (ii) वर्तमान कैडर या विभाग में स्तर-5 (रुपये 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा के साथ; एवं (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखना:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री; एवं (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अच्छे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य वाला होना चाहिए और कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में बाधा डालने वाली किसी भी शारीरिक निशक्तता से मुक्त होना चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फ़ा. सं.-1-20/2023-डीएम-I(एन)- पार्ट]

आशीष शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th December, 2024

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Civil Defence College, Hostel Warden Cum-Physical Training/Sports Instructor (Recruitment) Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hostel Warden Cum-Physical Training/Sports Instructor, in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.- *(1)* These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Hostel Warden Cum-Physical Training/Sports Instructor (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Hostel Warden Cum-Physical Training /Sports Instructor.	1*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29200–92300) in the pay matrix or equivalent in the present cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) Bachelor degree from recognised University or institute; and (ii) Qualified Physical Training Instructor course from recognised University or institute. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application. **Note 3:** The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 1-20/2023-DM-I(N)-part]

ASHISH SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय और सूचना सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह - 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त में होंगे।

2. **आवेदन:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो, इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्वति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्वक सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय और सूचना सहायक।	01(2024)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 – 112400)।

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण.**-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित।	अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; अनुभव:- केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासकों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:-** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा: (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन के अधिकारी, - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; और (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख' पद, विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर या महानिरीक्षक, एनडीआरएफ- अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1-18/2023/डीएम-I(एन)-भाग]

आशीष शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th December, 2024

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Civil Defence College, Nagpur, Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Library and Information Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant, in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Library and Information Assistant (Group –'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.- These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of said post, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Library and Information Assistant.	1(2024) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 –112400.)

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Qualification** : (i) Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; **Experience :** Two years professional experience in a Library under Central or State Government or Union territory Administrators or autonomous or statuary organization or Public Sector Undertakings or University or recognized research institute. **Desirable qualification:** Diploma in Computer Application from a recognised University or institute. **Note 1.-**Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note2.-**The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes

		or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation failing which by direct recruitment.

In **case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(11)
By Deputation: (a) Officers of the Central Government or the State Governments or the Union territories Administrations or the Armed Forces or the Central Armed Police Forces or the Central Police Organisations or the State Police Organisations - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29200–92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Post: Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Director, National Disaster Response Force Academy Nagpur or Inspector General, NDRF – Chairperson; 2. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force – Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

3. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force – Member.	

[F. No. 1-18/2023-DM-I(N)-part]

ASHISH SHARMA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (ड्राईवर) भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (ड्राईवर) (संशोधित) भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (ड्राईवर) भर्ती नियम, 2023 में, अनुसूची में, स्तंभ (11) के अधीन, उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन, बहु कार्य कर्मचारिवृंद" शब्दों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में वर्कशॉप अटेंडेंट या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ट्रैक्टर हेल्पर या बहु कार्य कर्मचारिवृंद" शब्द, आंकड़े, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. क्यू-11035/6/2023-प्रशा.-6]

अनामिका निगम, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, सा.का.नि. 12, तारीख 8 जनवरी, 2024 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 18th November, 2024

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Sheep Breeding Farm, Hisar (Driver) Recruitment Rules, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Sheep Breeding Farm, Hisar (Driver) (Amendment) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Sheep Breeding Farm, Hisar (Driver) Recruitment Rules, 2023, in the schedule, under Column (11), under sub-heading "Promotion", for the words "Multi Tasking Staff'', the words, figures, brackets and letters "the Workshop Attendant in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix or Tractor Helper in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix or Multi-tasking Staff" shall be substituted.

[F. No. Q-11035/6/2023-Admin-6]

ANAMIKA NIGAM, Under Secy.

Note.- The principal rules were published *vide* number G.S.R. 12, dated 8th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.12.23 20:19:03 +05'30'